परिशिष्ट

विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 501 द्वारा माननीय विधायक श्री सुन्दरलाल तिवारी सत्र फरवरी-मार्च 2018 (प्रश्नांश ख की जानकारी)

विकास आयुक्त के पत्र क्रमांक 4939 दिनांक 28.07.2017 द्वारा राज्य रोजगार गारंटी परिषद में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ उपयंत्रियों/सहायक यंत्री की सेवाएं उनके मूल विभाग को सौपी गई।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रीवा के आदेश क्र.5231 दिनांक 16/1/2017 द्वारा श्री प्रेमलाल गर्ग उपयंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा रीवा को तत्काल प्रभाव से प्रतिनियुक्ति से वापस करते हुए संचालक मत्स्य उद्योग भोपाल को भारमुक्त किया गया है।

संचालनालय मत्स्य उद्योग के आदेश क्र.460 दिनांक 3/5/2017 द्वारा श्री प्रेमलाल गर्ग उपयंत्री मत्स्य उद्योग को ग्रामीण यांत्रिकी सेवा में प्रतिनियुक्ति पर यथावत पदस्थ किये जाने का प्रशासकीय अनुमोदन दिनांक 26/4/2017 के आधार पर अनुमति प्रदान करते हुए अपने कर्तव्यों के साथ साथ विभागीय निर्माण कार्य का अतिरिक्त रूप से कार्य संपादन किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रीवा के आदेश दिनांक 5/6/2017 द्वारा श्री गर्ग उपयंत्री को जनपद पंचायत रीवा में सहायक यंत्री मनरेगा के रिक्त पद का प्रभार सौंपा गया। रीवा जनपद में 92 ग्राम पंचायतें है। श्री ओंकार सिंह मलिक सहायक यंत्री जनपद पंचायत रीवा द्वारा अपनी अस्वस्थता के कारण 31.01.2018 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति चाही गई है, जिसके कारण वर्तमान में श्री गर्ग उपयंत्री को जनपद पंचायत रीवा में सहायक यंत्री मनरेगा का आंशिक प्रभार प्रशासनिक कारणों से सौपा गया है।

अत: विभाग द्वारा की गई कार्यवाही प्रशासनिक कारणो से की गई है जो कि नियमानुसार है।